

प्रतिलिपि अंकसूची, माइग्रेशन प्रमाणपत्र, बोर्ड प्रामण पत्र, प्रोविजनल पत्र हेतु आवेदन पत्र

नोट :-

- (अ) प्रार्थना पत्र परीक्षार्थी द्वारा ही सुबाध्य अक्षरों में भरा जाये उसी के द्वार हस्ताक्षरित हो । परीक्षार्थी के लिए किसी अन्य द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र पर डाक्यूमेंट जारी नहीं किया जायेगा ।
- (ब) निम्नांकित जानकारी के अभाव में डाक्यूमेंट जारी नहीं किये जावेंगे । जिसके लिए छात्र स्वयं उत्तरदायी होंगे ।
- प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर

विषय :- प्रतिलिपि माइग्रेशन/अस्थाई प्रमाण पत्र प्रतिलिपि/अंक-सूची प्रतिलिपि/बोर्ड प्रमाण-पत्र प्रदान करने बाबत् ।

महोदय,

मुझे परीक्षा का निम्नलिखित डाक्यूमेंट प्रदान करने की कृपा करें । इस संबंध में परीक्षा संबंधी जानकारी नीचे प्रस्तुत है :-

- (1) नाम.....(2) पिता/पति नाम.....
(2) परीक्षा का नाम.....(4) परीक्षा वर्ष.....
(5) परीक्षा क्रमांक (रोल नम्बर).....(6) नियमित/स्वाध्यायी.....
(7) केन्द्र का नाम.....केन्द्र क्रमांक.....
(8) चाहे गये डाक्यूमेंट का विवरण
(9) संलग्न शुल्क बैंक ड्राफ्ट क्रमांक/ बैंक का नाम.....
दिनांक..... रुपये..... पैसे.....
(10) मुख्य अथवा पूरक परीक्षा की अंक-सूची.....
(11) जन्म तिथि.....

नोट:- प्रतिलिपि अंकसूची/प्रतिलिपि, माइग्रेशन प्रमाण पत्र, तथा प्रतिलिपि बोर्ड प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित घोषणा पत्र अवश्य भरें ।

घोषणा पत्र

मैं..... घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरा/मेरी.....
..... परीक्षा वर्ष..... की मूल

अंक-सूची/माइग्रेशन, प्रमाण पत्र नष्ट हो गई/गया है ।

संलग्न:-

परीक्षार्थी के स्वयं के पूर्ण हस्ताक्षर

1.....	नाम.....
2.....	पूर्ण पता
3.....	ग्राम..... पोस्ट.....
	जिला.....
	पिनकोड.....

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

मण्डल विनियम 122 के अनुसार ग्राह्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रर्थना पत्र का नमूना

नोट:- यह प्रमाण पत्र 150.00 रुपये एवं नामांकन शुल्क 50 रुपये कुल रुपये 185.00 तथा वांछित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी प्रतिलिपियों सहित समस्त बिन्दुओं की पूर्ति उपरांत विद्यालय के प्राचार्य द्वारा भेचा जाये । प्रस्तुत अंकसूची, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की सत्यता /समकक्षता सम्बंधित पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/प्राचार्य का होगा ।

- | | |
|--|-------|
| 1. प्रार्थी का नाम | |
| 2. प्रार्थी के पिता का नाम | |
| 3. जन्मतिथि | |
| 4. प्रार्थी का वर्तमान पता | |
| 5. प्रार्थी के पालक का नाम तथा प्रार्थी का उससे संबंध | |
| 6. इस मण्डल की हाईस्कूल/हायर सेकें. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये प्रार्थी द्वारा पूर्व में उत्तीर्ण अन्य बोर्ड अथवा विवि की मान्य अंतिम परीक्षा का नाम (उस बोर्ड अथवा विवि का नाम जिसमें वह अध्ययनरत था) | |
| 7. उक्त परीक्षा उत्तीर्ण होने की तिथि तथा विषयों का नाम | |
| 8. यदि प्रार्थी के इस मण्डल के क्षेत्र में प्रवेश लेने के पूर्व अन्य बोर्ड | |
| अथवा विवि का मान्य इन्टरमिडियेट कक्षा के प्रथम/द्वितीय वर्ष अथवा हायर सेकें. परीक्षा (प्री-युनिवर्सिटी) कक्षा में अध्ययन किया हो, तो संस्था कक्षा विषयों के नाम | |
| 9. इस मण्डल द्वारा मान्य विद्यालय का नाम जिसमें प्रार्थी प्रवेश पाना चाहता है, (प्रवेश लेने वाली कक्षा तथा विषयों का स्पष्ट खुलासा किया जावें) । | |
| 10. इस संस्था में प्रवेश चाहने के कारण | |

दिनांक / /

प्रार्थी के हस्ताक्षर.....

मैं प्रमाणित करता हूँ कि प्रार्थी द्वारा उपर दी गई माहिती मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है। छात्र को इस शाला में सत्र में कक्षा..... में प्रवेश दिया गया है।

हस्ताक्षर- प्राचार्य

पद मुद्रा

नोट:- निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र और उनकी एक-एक आपके द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि सहित प्रार्थना पत्र के साथ भेजना चाहियें। मूल प्रमाण पत्र जाँच के उपरांत लौटा दिये जावेंगे।

1. अन्य बोर्ड अथवा वि वि की परीक्षा उत्तीर्ण होने की मूल अंकसूची, एवं स्थानांतरण प्रामण पत्र एवं सत्यापित छाया प्रति।
2. यदि प्रार्थी ने इण्टरमीडियेट प्रथम अथवा द्वितीय वर्ष अथवा हायर सेकेण्डरी परीक्षा प्री युनिवर्सिटी कक्षा में अध्ययन करना छोड़ा हो, तो उस संस्था के प्राचार्य का प्रामण पत्र।
3. मण्डल विनियम 122 के अनुसार ग्राह्यता प्रार्थना पत्र दो प्रति में तैयार कर एक प्रति स्था की प्रवेश संबंधी फाईल में सुरक्षित रखें।
4. संस्था में छात्र प्रवेश उपरांत 7 दिवस के भीतर ग्राह्यता कार्यवाही वूर्ण कर ग्राह्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
5. किसी भी प्रकार गलत जानकारी देकर ग्राह्यता प्राप्त करने पर पूर्ण उत्तरायित्व छात्र/प्राचार्य का होगा।

..2..

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

क्रमांक/ /प0स0/200

रायपुर दिनांक

प्रति,

प्रचार्य

समस्त मान्यता प्राप्त संस्थायें,
छत्तीसगढ़

विषय :-

ग्राह्यता प्रामण पत्र (Eligibility certificate) विषयक जानकारी बाबत्।

उपर्युक्त विषय में संस्थाओं की जानकारी हेतु निम्नानुसार विवरण प्रसारित किया जाता है :-

1. मण्डल विनियम क्रमांक 122 के अनुसार ऐसे छात्रों को निर्धारित प्रार्थना पत्र पर ग्राह्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु रु. 150.00 एवं नामाकन शुल्क रुपये 35.00 कुल रु. 185.00 (प्रति छात्र) सहित संबंधित संस्था के प्राचार्य के माध्यम से समस्त ग्राह्यता प्रकरण एक साथ दिनांक 07.07.2008 तक कार्यालय में जमा करना होगा। ग्राह्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये निर्धारित प्रार्थना पत्र की एक प्रति सूचनार्थ संलग्न है, यदि इस आवेदन पत्र की ओर आवश्यता हो, तो नमूने के अनुसार टाइप अथवा छाया प्रति करके कृपया उपयोग में लायें।
2. प्रायः यह देखा गया है, कि मण्डल से ग्राह्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही या तो अत्यंत विलम्ब से की जाती है या की ही नहीं जाती। इसके परिणाम स्पर्श मण्डल को छात्रों के परीक्षाफल रोकने पड़ते हैं, इससे छात्रों को हानि होती है और वे उच्च कक्षाओं में प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। अतः अनुरोध है, कि ऐसे समस्त छात्रों की ग्राह्यता संबंधी कार्यवाही कर निम्नांकित प्रपत्र के साथ

दिनांक 07.07.2008 तक मण्डल कार्यालय में जमा करें। उक्त दिवस के पश्चात् ग्राह्यता प्रकरण मान्य नहीं किया जावेगा।

3. **ग्राह्यता आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रपत्र :-**

- (अ) कार्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र (ब) विद्यार्थी के मूल अंकसूची एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र जो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, की मूल एवं छाया प्रति। (स) ग्राह्यता शुल्क रु. 150.00 एवं नामांकन शुल्क रु. 35.00 कुल 185.00 (प्रति छात्र) का बी. डी. जो सचिव, छ.ग. मा. शि. म., रायपुर के नाम देय हो।

पंजीयक
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर

नोट:- संस्था में प्रवेशरत् छात्र/ छात्रों का समस्त ग्राह्यता प्रकरण एक री साथ जमा करें तथा ग्राह्यता हेतु छात्र/ छात्राओं के पालकों को कदापि न भेजें। संस्था में छात्र/ छात्राओं को प्रवेश देने के पश्चात् ग्राह्यता पूर्ण करने की सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्था/ प्राचार्य का होता है।